गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2014 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2014 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	डॉ0 एम.एस.के. खोखर, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
05.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
06.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
07.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
08.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
09.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	सदस्य
10.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
11.	डॉ0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
12.	डॉ0 भारती अहिरवार	सदस्य
13.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
14.	प्रो0 एस.वी.एस. चौहान	सदस्य
15.	प्रो0 प्रदीप शुक्ला	सदस्य
16.	डॉ0 मोनिका भदौरिया	सदस्य
17.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
18.	प्रो0 आई.डी. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क्र.-01. **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.07.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि विषय क्रमांक-7 के अंतर्गत निम्न समावेश के साथ की जाय।

''आगामी शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रमों की सीट संख्या में संशोधन हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययनशाला के अधिष्ठाता की अनुशंसा सहित प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे।''

विषय क्र.-02. **अध्ययन मण्डलों की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।**

अध्ययन मण्डल-पूस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, गणित, रसायनशास्त्र, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय। साथ ही बैठक में अध्ययन मण्डल मानवशास्त्र, अंग्रेजी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा समाज कार्य विषय की अनुशंसाओं का भी अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष से यह वचन पत्र प्राप्त किया जाय कि अध्यादेश के प्रावधानानुसार अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसा प्रस्तुत की गई है।

भविष्य में अध्ययन मण्डलों द्वारा अध्यादेश के प्रावधान अंतर्गत अपनी अनुशंसायें दिये जाने का उल्लेख बैठक के कार्यवृत्त में अनिवार्यतः सम्मिलित किया जाये।

विषय क0-03. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अन्य शिक्षण संस्थानों के सह-शोध निर्देशक बनने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह अंकित किया कि इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सह शोध निर्देशक हेतु अनुमति दिये जाने संबंधी कोई दिशा निर्देश अथवा Modalities विश्विद्यालय में प्रचलित नहीं है।

अतः निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में दिशा निर्देश अथवा Modalities तय किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाय तथा उनकी अनुशंसाओं को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय :-

01.	डॉ0 एल.पी. पटैरिया	-	समन्वयक
02.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	-	सदस्य
03.	डॉ0 जी.के. पात्रा	-	सदस्य
04.	डॉ0 एम.के. सिंह	-	सदस्य

विषय क0-04. प्रौद्योगिकी संस्थान में शोधार्थियों के प्रवेश हेतु विज्ञापित अर्हता के संशोधन पर विचार।

निर्णय लिया गया कि प्रौद्योगिकी संस्थान में शोधार्थियों के प्रवेश हेतु अर्हताओं में संशोधन संबंधी प्रस्ताव अमान्य किया जाय।

विषय क0-05. M.B.B.S. IInd Professional पूरक परीक्षा के छात्रों के Forensic Medicine विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन संबंध में।

M.B.B.S. IInd Professional के Forensic Medicine विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने की पात्रता न होने के कारण आवेदकों के आवेदन को अमान्य किया गया।

विषय क0-06. एम.बी.ए. तृतीय सेमेस्टर की कक्षाओं में उपस्थिति होने की प्राविधिक अनुमति एवं एम.बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर की विशेष्ष परीक्षा के आयोजन संबंधी

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विधिक अभिमत प्राप्त कर तद्नुसार आगामी कार्यवाही की जाये।

विषय क0-07. **शैक्षणिक सत्र 2014-15 (विषम सेमेस्टर) हेतु प्रभावशील अकादमिक कैलेण्डर अनुसार आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विचार करना।**

छात्र संख्या अनुरूप पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता एवं नियमित कक्षायें अगस्त, 2014 के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ होने के कारण प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, यदि आवश्यक हो तो, शैक्षणिक सत्र 2014-15 के अकादमिक कैलेण्डर में उल्लेखित तिथि-25 अगस्त, 2014 से 01 सितम्बर, 2014 के स्थान पर 25 अगस्त, 2014 से 20 सितम्बर, 2014 तक बढ़ाई जा सकती है। इस हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययनशाला के अधिष्ठाता से अनुमति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही कर सकेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण अपने अध्ययनशाला के अन्तर्गत आने वाले विभागों के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में विवरण विश्वविद्यालय प्रशासन को 25 सितम्बर, 2014 तक प्रस्तुत करेंगे।

विषय क0-08. **कु0 मेरी एक्का, शोध छात्रा, वानिकी विभाग के राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप (अनु.जनजाति वर्ग) के तहत छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करने विषयक।**

कु0 मेरी एक्का, शोध छात्रा, वानिकी विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप (अनु.जनजाति वर्ग) 2013-14 के फेलोशिप का भुगतान छात्रा को विश्वविद्यालय की यू.जी.सी. नॉन नेट फैलोशिप की अंतिम भुगतान के बाद की तिथि से देय होगी।

इस प्रकरण के संबंध में आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्राचार किया जाय।

विषय क0-09. **फॉरेन्सिक साईंस विभाग के सह-आचार्य पद को अंग्रेजी विभाग में स्थानांतरित करने विष्षयक।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय में फॉरेन्सिक साईंस विभाग के अध्ययन-अध्यापन के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व में अंग्रेजी विभाग के सह-आचार्य (01 पद) को फॉरेन्सिक विभाग के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फॉरेन्सिक सांईस विभाग के लिए आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक प्राध्यापक की कुल 07 पद स्वीकृत किया गया है। जिन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। अंग्रेजी विभाग में सह-आचार्य पद की आवश्यकता है।

अतः फॉरेन्सिक साईंस विभाग को पूर्व में अंग्रेजी विभाग से स्थानांतरित किये गये सह-आचार्य के पद को उनके मूल विभाग (अंग्रेजी विभाग) को वापस स्थानांतरित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क0-10. **अनुचित साधन उपयोग प्रकरण (UFM) के निर्णय परपुनर्विचार संबंधी।**

निर्णय लिया गया कि अनुचित साधन उपयोग प्रकरण के अंतर्गत आवेदक के पुनः विचार हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अध्यादेश के प्रावधानानुसार कुलपति महोदय को अधिकार निहित है। अतः प्रस्तुत प्रकरण कुलपति महोदय के समक्ष पुनः विचार हेतु प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क0-01. प्रादर्श अध्यादेश क्रमांक 22 (अनुचित साधन उपयोग प्रकरण) के संबंध में पूर्व में गठित समिति (डॉ0 एल.पी. पटैरिया व डॉ0 प्रवेश दलई) के द्वारा अपना सुझाव दिनांक 27.08.2014 तक विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति/अध्यक्ष

कुलसचिव (कार्यवाहक)